

प्रेसनोट दिनांक 12.06.2022

1. दिनांक 11.06.22 को वादी श्री अनिल कुमार शुक्ला प्रभागीय लेखाधिकारी ग्रमीण अभियन्ता अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि डी0के0 तिवारी पुत्र अज्ञात नि0 अज्ञात अभि0 द्वारा कार्यसरकार मे बाधा डालते हुए गाली व जानमाल की धमकी देना। जिसके संबंध में थाना को0नगर में मु0अ0सं0 453/22 धारा 186, 353, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 11.06.22 को वादी श्री कृष्ण कुमार पुत्र स्व0 रामअवध नि0 मुबारकगंज थाना रौनाही अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि अज्ञात वाहन चालक वाहन चालक द्वारा तेजगति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए वादी के भाई को टक्कर मार देना जिससे ईलाज के दौरान मृत्यु हो जाना। जिसके संबंध में थाना को0नगर में मु0अ0सं0 455/22 धारा 279, 304ए भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 11.06.22 को वादी उ0नि0 श्री सतीश चन्द्र थाना रा0ज0भू0 अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि रमेश कुमार पुत्र हरिराम नि0 घारीघाट करहिया थाना खोड़ारे गोण्डा गिर0 अभि0 के कब्जे से एक एदद चाकू नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना रा0ज0भू0 में मु0अ0सं0 31/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 11.06.22 को वादी श्री चन्द्रभूषण पुत्र सत्यदेव नि0 उसरू अमौना थाना पूराकलन्दर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि यूपी 42 एवाई 8297 का चालक ना पता अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेजगति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए वादी जीजा व भांजा को टक्कर मार देना जिससे गम्भीर रूप से घायल हो जाना तथा वाहन क्षतिग्रस्त हो जाना। जिसके संबंध में थाना पूराकलन्दर में मु0अ0सं0 278/22 धारा 279, 337, 338, 427 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 11.06.22 को वादी कां0 संजय कुमार यादव थाना पूराकलन्दर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि रामकिशुन पुत्र हरिप्रसाद नि0 सुजानपुर अंजना थाना पूराकलन्दर अयोध्या गिर0 अभि0 के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना पूराकलन्दर में मु0अ0सं0 279/22 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
6. दिनांक 11.06.22 को वादी श्री प्रिन्स कुमार पुत्र स्व0 रामजग नि0 तेजापुर अंकारीपुर थाना गोसाईगंज अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि अज्ञात वाहन चालक वाहन चालक द्वारा तेजगति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए वादी की माता को टक्कर मार देना जिससे ईलाज के दौरान मृत्यु हो जाना। जिसके संबंध में थाना गोसाईगंज में मु0अ0सं0 164/22 धारा 279, 304ए भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
7. दिनांक 11.06.22 को वादी उ0नि0 श्री रामअवतार राम थाना महाराजगंज अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि राजकुमार कोरी पुत्र रामचेत नि0 रकौरा तिवारी को पुरवा थाना महाराजगंज अयोध्या गिर0 अभि0 के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना महाराजगंज में मु0अ0सं0 217/22 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
8. दिनांक 11.06.22 को वादी श्री रमेश कुमार पुत्र स्व0 शिवाकान्त मिश्रा नि0 गोड़वा थाना रौनाही अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि सुरेश कुमार पुत्र स्व0 शिवाकान्त मिश्रा नि0 गोड़वा थाना रौनाही अयोध्या आदि 02 नफर अभि0गण द्वारा वादी को गाली व जानमाल की धमकी देते हुए मारना पीटना। जिसके संबंध में थाना रौनाही में मु0अ0सं0 185/22 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
9. दिनांक 11.06.22 को वादी श्री जितेन्द्र वर्मा पुत्र दलसिंगार नि0 विजयनपुर सजहरा थाना तारून अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन सं0 यूपी 44 एके 5763 का चालक नाम पता अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेजगति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए वादी के पिता की सायकिल मे टक्कर मार देना जिससे वादी के पिता की ईलाज के दौरान मृत्यु हो जाना तथा साइकिल का क्षतिग्रस्त हो जाना। जिसके संबंध में थाना तारून में मु0अ0सं0 145/22 धारा 279, 337, 427, 304ए भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

10. दिनांक 11.06.22 को वादी श्री उदयरज तिवारी लेखपाल सोनौरा गाऊपुर थाना तारून अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि अखण्ड प्रताप पुत्र राघवराम नि० किछुटी किशुनदासपुर थाना तारून अयोध्या।आदि 03 नफर अभि०गण द्वारा भूमि पैमाइश के दौरान गाली व जानमाल की धमकी देते हुए मारना पीटना, कार्यसरकार को बाधित करना तथा सरकारी अभिलेख नष्ट कर देना। जिसके संबंध में थाना तारून में मु०अ०सं० 147/22 धारा 323, 504, 506, 332, 353, 427 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

11. दिनांक 11.06.22 को वादी लेखपाल श्री राजकुमार दुबे नि० रामनगर धौरहरा सोहावल थाना को०रुदौली अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि शिवकरन पुत्र अधीन नि० सहनी थाना को०रुदौली अयोध्या। अभि० द्वारा सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा कर लेना। जिसके संबंध में थाना को०रुदौली में मु०अ०सं० 240/22 धारा 2/3 सार्वजनिक संपत्ति नि० अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।

12. दिनांक 11.06.22 को वादी उ०नि० श्री प्रमोद कुमार थाना को०रुदौली अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि मो० रईस पुत्र हामिद नि० छोटी दुधाधारी थाना को०रुदौली अयोध्या।गिर० अभि० के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को०रुदौली में मु०अ०सं० 242/22 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।

13. दिनांक 11.06.22 को वादी उ०नि० श्री प्रदीप कुमार यादव थाना मवई अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि मोनू पुत्र जगराम नि० सुनबा थाना मवई अयोध्या।गिर० अभि० के कब्जे से 600 ग्राम गांजा बरामद नाजायज होना। जिसके संबंध में थाना मवई में मु०अ०सं० 150/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

14. दिनांक 11.06.22 को वादी श्री अरविन्द कुमार यादव पुत्र रामलौट यादव नि० कामापुर थाना मवई अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन सं० यूपी 57 एटी 2015 का चालक नाम पता अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेजगति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी के भाई की साइकिल मे टक्कर मार देना जिससे पीछे बैठी वादी की माता का गम्भीर रूप से घायल हो जाना,दौराने ईलाज मृत्यु हो जाना व साइकिल टूट जाना। जिसके संबंध में थाना मवई में मु०अ०सं० 151/22 धारा 279, 304ए, 427 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

15. दिनांक 11.06.22 को वादी श्री श्रीचन्द पुत्र साहबदीन नि० टिकरी सरवन थाना असन्द्रा बाराबंकी। द्वारा सूचना दिया गया कि अज्ञात अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेजगति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए वादी के भाई को टक्कर मार देना जिससे ईलाज के दौरान मृत्यु हो जाना तथा मो०सा० क्षतिग्रस्त हो जाना। जिसके संबंध में थाना पटरंगा में मु०अ०सं० 109/22 धारा 279, 337, 338, 304ए, 427 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।